

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 289 / 2019

दायरी दिनांक : 04.06.2019

अनवान

- 1 प्रभूनाथ पिता शंकरनाथ जाति नाथ निवासी रघुनाथपुरा(सराणा) तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

- 1 प्यारा पिता रूपा बैरवा निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 2 गोपाल पिता लादू बैरवा निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 3 शंकर पिता खाना गुर्जर निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
- 4 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री संजय कुमार खटीक (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री विनोद कुमार मारु (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2)
3. अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे खाते की ग्राम केरपुरा पटवार मण्डल जालिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 181 की आराजी संख्या 578/11 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार मारू ने अधिकार पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कई अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थी के उक्त आराजियात का एकल खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। पत्रावली में संलग्न **जमाबंदी सम्वत 2072-75** के अवलोकन से प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का एकल खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर **ग्राम केरपुरा पटवार मण्डल जालिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 181 की आराजी संख्या 578/11 रकबा 02 बीघा भूमि** बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/-** रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थिया मौके पर अदा करेगी। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

